

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या  
12/165/2019

प्रवेश तिथि  
15-10-2019

निर्णय दिनांक  
03-08-2021

01-उमर मोहम्मद पुत्र गोखरू जाति मेव निवासी रायपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।  
अपीलान्त

बनाम

01-तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।

रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार तिजारा दिनांक  
20-08-2018 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 32/18

उपस्थित:-

01. श्री राम निवासी सैनी -वकील अपीलान्त  
02. विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 20-08-2018 जिसके तहत अपीलान्त को ग्राम रायपुर की सरकारी गैरमुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गै0मु0बेहड पर अवैध रूप से बाजरा कर कब्जा कर अतिक्रमण से बेदखल करने एवं 100/- रुपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये हैं, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्यो0 को जर्ज सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गै0मु0बेहड से अपीलान्त को बेदखल किये का व तीन माह के कारावास से गलत व बेजा तौर पर दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्त को धारा 91(7) भू0राजस्व अधिनियम के तहत पश्चावर्ती अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बिना नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया है जो मौके व कब्जे के खिलाफ व विधि विरुद्ध पारित किया है। पश्चावर्ती अतिक्रमण अपीलान्त ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलान्त को बेदखल नहीं किया गया है फिर भी तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर कारावास की सजा से दण्डित जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तहत अदालत को पेश की है व अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिए बिना आलौच्य निर्णय पारित किया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर एक बड़ा रकबा है। जिसमें से 0.50 हैक्टर अपीलान्त को अतिक्रमी माना है जो रकबा किस तरफ का है यह भी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में नहीं खोला गया है। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों के अनुसार बड़ा रकबा में से कुछ रकबा पर अतिक्रमण किया गया है

तो पटवारी हल्का को स्पष्ट रूप से विहित करना पड़ेगा कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। तहत अदालत ने इसकी जाँच नहीं की और बिना वास्तविकता की जाँच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अंदर मियाद है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी गैरमुमकिन बेहड भूमि है। किस्म गैरमुमकिन बेहड पर बाजारा बौ कर कब्जा कर अतिक्रमण कर नहीं कर सकते। अपीलान्त ने मौके पर अवैध रूप से किस्म गैरमुमकिन बेहड की भूमि पर काश्त कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्त ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 10.22 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैरमुमकिन बेहड से अपीलान्त को बेदखल किये का व तीन माह के कारावास से गलत व बेजा तौर पर दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्त को धारा 91(7) भूराजस्व अधिनियम के तहत पश्चावर्ती अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बिना नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया है जो मौके व कब्जे के खिलाफ व विधि विरुद्ध पारित किया है। पश्चावर्ती अतिक्रमण अपीलान्त ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलान्त को बेदखल नहीं किया गया है फिर भी तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर कारावास की सजा से दण्डित जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्त ने विवादित आराजी पर कब्जा नहीं किया है।

तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और अपीलान्त ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया हो। अपीलान्त को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 20-08-2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03-08-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नन्नुमल पहाडिया)  
जिला कलेक्टर, अलवर